न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा
सत्र परीक्षण संख्या– 329/16

राज्य प्रति उदल आदि
अ0सं0– 435/2014
धारा 147, 148, 149, 307, 323, 332, 333, 336, 353 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट
थाना– आदमपुर

जिला अमरोहा

आरोप

मैं, सुरेश चन्द–I, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय अमरोहा, आप अभियुक्तगण उदल, राजू, धर्म सिंह, सुभाष व मदन को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 20.08.2014 को समय 14:45 बजे, स्थान ग्राम सांथलपुर की बीच वाली मढैइया पर आप सभी अभियुक्तगण ने आबाकारी विभाग की टीम पर हमला करने हेतु विधि विरूद्ध जमाव किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धार 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप सभी अभियुक्तगण ने गम्भीर हथियार से लैस होकर आपने विधि विरूद्ध जमाव किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप सभी अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के लिए आबकारी टीम पर अचानक हमला कर दिया और अपने हाथों में लिये तमंचों से जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे आबकारी टीम के सदस्य बाल–बाल बच गये। इस कारण आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा आबकारी विभाग की टीम पर लाठी–डण्डों व ईंट–रोड़ों से मारपीट की, जिससे मनोज कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/149 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा सरकारी सेवकों को मारपीट कर चोटें पहुँचाई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 332/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा मारपीट करते हुए उस समय सरकारी सेवकों को गम्भीर चोटें पहुँचाई, जब वह सरकारी ड्यूटी पर थे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 333/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने आबकारी विभाग की टीम के सदस्यों की व्यक्तिगत सुरक्षा एवं उनके जीवन को खतरा उत्पन्न किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 336/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा राजकीय सेवकों को अपने–अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मारपीट कर घायल किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 353 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

नवम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने उपद्रव किया तथा फायरिंग की जिससे भय व्याप्त हो गया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूॅ कि उक्त आरोप में इस न्यायालय द्वारा आपका विचारण किया जायेगा।

एस0डी0/–
सुरेश चन्द– I
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2
अमरोहा

दिनांकः 14.07.2017

उक्त आरोप मेरे द्वारा अभियुक्त को पढकर सुनाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

एस0डी0/–
सुरेश चन्द– I
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2
अमरोहा

दिनांकः 14.07.2017

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा
सत्र परीक्षण संख्या– 329/16
राज्य प्रति उदल आदि

आदेश

दिनांक 14.07.2017– पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण उदल, राजू, धर्म सिंह, सुभाष व मदन अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर आये। मैंने आरोप के निर्धारण के प्रश्न पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 147, 148,, 149, 307, 323, 332, 333, 336, 353 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत आरोप निर्धारण किये जाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्त मरगूव के विरूद्ध धारा 147, 148, 307/149, 323/149, 332/149, 333/149, 336/149, 353 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का आरोप निर्धारित किया जाता है।

एस0डी0/–

सुरेश चन्द
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–2,
अमरोहा